न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 94/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2001/00007)

1. चानणगिर
2. प्रेमगिर (फौत)
   2/1 शांति पत्नी स्व. प्रेमगिर, 2/2 कृष्ण, 2/3 रामसिंह, 2/4 सीमला, 2/5 गिरदावरी, 2/6 कमला पुत्रगण स्व. प्रेमगिर
3. भादरगिर

(1–3: पि. रूपगिर जाति गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर)

4. गोमती बेवा मनफूल गिर जाति गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर
5. हनुमान
6. शुभकरण

(5–6: पि. मनफूल गिर जाति गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर)

7. कमला बेवा महावीर जाति गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर
8. रामदेव पुत्र महावीर जरिये वली माता कमला बेवा महावीर जाति गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर।
9. विद्या देवी बेवा शिशुपाल गिर जाति गुसाई सा. अरड़की तहसील नोहर
10. ईश्वरगिर
11. आत्मगिर
12. ओमगिर
13. पृथ्वीगिर

(10–13: पिसरान शिवपाल गिर गुसाई साकिन अरड़की तहसील नोहर)

14. मु. सोना जोजा हरपालगिर जाति गुसाई साकिन रागेडी तहसील तारानगर
15. मु. धन्नी जोजा हेमराज गिर जाति गुसाई साकिन जीवनपुरी की ढाणी तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुगनगिर पुत्र सुलतान गिर जाति गुसाई निवासी चक 6 एच एम एच ग्रा.प. अमरपुराथडी तहसील हनुमानगढ (फौत)
   1/1 रामी पत्नी स्व. सुगनगिर
   1/2 विमला (गुडी) पुत्री स्व. सुगनगिर
   1/3 ज्ञानाराम पुत्र स्व. सुगनगिर
   1/4 लीलूराम पुत्र स्व. सुगनगिर

   (1/1–1/4: जाति गुसाई निवासी चक 6 एच एम एच ग्रा. प. अमरपुराथडी तहसील हनुमानगढ)
2. इन्द्रावती बेवा सोहनगिर जाति गुसाई साकिन बरमसर तहसील रावतसर हाल अमरपुराथडी तहसील व जिला हनुमानगढ। (फौत आदेश दिनांक 12.01.2010 को नाम हटाया गया)
3. राजू
4. अनिल

(3–4: पि. सोहनगिर जाति गुसाई साकिन बरमसर तहसील रावतसर हाल अमरपुराथडी तहसील व जिला हनुमानगढ)

5. सोमी पुत्री सोहनगिर जाति गुसाई साकिन बरमसर तहसील रावतसर हाल व जिला हनुमानगढ।
6. तहसीलदार भू.अभिलेख नोहर, तहसील नोहर

रेस्पोडेंट्स

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1. श्री हरीश मदान — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 30.05.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 20.11.2001 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के निमित पहले साधारण सम्मन फिर अखबार में सम्मन जारी किये जाने के बाद भी उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही (Ex party) अमल में लिये जाने के आदेश पारित किये गये।
3. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि साबिका खं. नं. 138 मे 36 बीधा 17 बिस्वा, खं. नं. 138 मे ही 25 बीधा 5 बिस्वा.के दो खेत वाके अरडकी मे श्री रूपगिर व हजारीगिर पि. श्योलाल के गिर जाति गुसाई निवासीस अरडकी तहसील नोहर के कब्जे काश्त में थी। उक्त भूमि के खं. नं. 348 में 61 बीधा 3 बिस्वा भूमि बने है। उपरोक्त 61 बीधा 3 बिस्वा भूमि मे से 35 बीधास 18 बिस्वा भूमि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिग्री दिनांक 22.2.78 के जरिए रूपगिर व हजारीगिर के संयुक्त नाम से खातेदारी दर्ज हो गई। बाकी बची भूमि 25 बीधा 5 बिस्वा भूमि पैमाईश मे रिकार्ड में सुलतान गिर के नाम दर्ज हो गई। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी में वाद दायर कर रखा है जो विचाराधीन है। जिसके आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।
4. अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 16.04.03 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट सं. 2 प्रेमगिर का स्वर्गवास दिनांक 16.12.02 होने पर उनके जायज वारिसान की सूची पेश कर रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार स्व. प्रेमगिर के जायज वारिसानो का रिकार्ड पर लेने के आदेश दिये गये है। अभिभाषक अपीलान्ट ने स्व. प्रेमगिर के वारिसानो की ओर से वकालतनामा पेश नही किया है और ना ही उसके वारिसान उपस्थित हुए है। स्व. प्रेमगिर के वारिसान का

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अन्य अपीलान्ट के समान हित होने के कारण प्रकरण में बहस सुनी गई।

5. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को ही अपनी बहस बता कर अपर जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय अपील सं. 3/2001 निर्णय दिनांक 20.11.2001 में जो अन्य अपील सं. 1/2001 मे पारित निर्णय लागू होगा का लिखा है उस हद तक अपील स्वीकार फरमाते हुए अन्य अपील का निर्णय का लिखा होना निरस्त फरमाया जावे अर्थात निर्णय की अन्तिम पंक्ति "शेष अपील सं. 1/2001 में पारित निर्णय लागू होगा " को अपास्त फरमाया जावें।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 20.11.2001 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमें अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण सं. 457 को निरस्त किया गया है। तथा शेष निर्णय अपील सं. 01/2001 में पारित निर्णय अनुसार लागू होने के आदेश दिये हैं। अपीलान्ट ने उक्त निर्णय की अन्तिम पक्ति " शेष अपील सं. 01/2001 में पारित निर्णय लागू होगा को" अपास्त करने हेतु निवेदन किया है। अपील सं. 01/2001 के निर्णय का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्राम अरड़की की खं. नं. 348 की 25 बीधा 5 बिस्वा भूमि का मुताबिक बैयनामा से पूर्व में नामान्तकरण सं. 248 स्वीकृत हो चुका है इसी आधार पर नामान्तकरण सं. 457 दिनांक 19.10.2000 को निरस्त किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील सं. 03/2001 जो कि नामान्तकरण सं. 457 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है को अपील सं. 01/2001 में स्वीकार करते हुए "शेष अपील सं. 1/2001 में पारित निर्णय लागू होगा " का अंकन किया है जबकि उक्त अपील में इस प्रकार के अंकन की कोई कानूनी आवश्यकता नही थी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2001 में संशोधन करते हुए "शेष अपील सं. 1/2001 में पारित निर्णय लागू होगा" को निरस्त किया जाता है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।